6415
6406
25/1/17

न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहा0कले0(प्र0श्रे0), सदर, लखनऊ।

वाद संख्या : 203/11–12
चरक हेल्थ केयर एण्ड रुलर डेवलपमेन्ट
ट्रस्ट बनाम उ0प्र0 सरकार
धारा : 143 जेड0ए0एल0आर0 एक्ट
ग्राम : मौरा, परगना,
तहसील व जिला लखनऊ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी चरक हेल्थ केयर एण्ड रुलर डेवलपमेन्ट ट्रस्ट द्वारा सचिव डा0 अश्वनी सिंह पुत्र डा0 आर0के0 सिंह निवासी 54, शास्त्री नगर, जिला लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 143 जेड0ए0एल0आर0 एक्ट के अर्न्तगत प्रारम्भ की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अभिलिखित है कि प्रार्थी भूमि खसरा संख्या 645 रकबा 0.531 हे0 स्थित ग्राम मौरा, का दर्ज खातेदार है। उक्त भूमि के आस–पास आवासीय–एवं–व्यवसायिक क्षेत्र विकसित हो जाने के कारण वादीय भूमि की नवइयत परिवर्तित होकर अकृषिक हो गयी है। प्रार्थी संस्था के हित में उक्त भूमि पर निर्माण हेतु अग्रसर होना चाहता है। वादीय भूमि के आस–पास भी शिक्षण संस्था संचालित हो रही है एवं निर्माण चल रहा है। अन्त में प्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि को गैर कृषिक घोषित किये जाने की याचना की गई।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, सदर, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार सदर, लखनऊ की आख्या दिनांक 09.05.2012 के अनुसार प्रश्नगत भूमि गाटा संख्या 645 रकबा 0.531 हे0 भूमि पर दक्षिण पूरब 7 फुट ऊची बाउन्ड्री वाल बनी है, पश्चिम भाग पर निर्माण कार्य चल रहा है। भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की नही है। नियम 135(6) के अनुसार निर्मित क्षेत्रफल की पैमाइश की गई है एवं नियमानुसार शुल्क जमा किया गया है। अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित अग्रसारित है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार, सदर की आंख्या का विधिवत अवलोकन व परिशीलन किया गया। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भूमि पर दक्षिण पूरब 7 फुट ऊची बाउन्ड्री वाल बनी है,

13/7/12

6415
6406
25/1/17

(3)

पश्चिम भाग पर निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसी दशा में मौके पर उक्त भूमि का उपयोग गैर कृषिक होने के कारण अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नही है।

आदेश

अतः प्रश्नगत भूमि के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त तहसीलदार, सदर, लखनऊ की आख्या दिनांक 09.05.2012 की पुष्टि की जाती है। तद्नुसार ग्राम मौरा, परगना, तहसील व जिला लखनऊ की गाटा संख्या 645 रकबा 0.531 हे0 भूमि को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नही होगा। इस भूमि का उपयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना – 2021 के अनुसार ही अनुमन्य होगा। अभिलेखों में अमल–दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार, सदर, लखनऊ को व आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, लखनऊ को भेजी जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

13/7/12

(अरुण कुमार)
उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्र0श्रे0),
सदर, लखनऊ

उपरोक्त आदेश आज दिनांक . 13/7/12 . . . को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(अरुण कुमार)
उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्र0श्रे0),
सदर, लखनऊ

प्रतिलिपि कर्ता...
मिलान कर्ता...
तिथि...

प्रार्थना पत्र देने की तिथि 25/1/17
प्रार्थना पत्र ... 28-1-17
28-1-17
प्रतिलिपि ...
शब्दों की संख्या ... 300

प्रमाणित प्रतिलिपि
28-1-17
... अभिलेखागार
कार्यालय जिलाधिकारी
लखनऊ